रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112022-240543 CG-DL-E-24112022-240543

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5246] No. 5246] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2022/अग्रहायण 3, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2022/AGRAHAYANA 3, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2022

का.आ. 5475(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 49 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बहुमूल्य धातुओं तथा बहुमुल्यों रत्नों के डीलरों और भू-संपदा अभिकर्ताओं के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, प्रधान अपर महानिदेशक (संपरीक्षा), केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड को 15 नवम्बर, 2022 से निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. पी-12011/6/2022-ईएस सेल-डीओआर]

शशांक मिश्रा, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2022

S.O. 5475(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 49 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby appoints the 7828 GI/2022 (1)

Principal Additional Director General (Audit), Central Board of Indirect Taxes and Customs, as the Director, to exercise the powers conferred under section 13 of the said Act with regard to the dealers in precious metals and precious stones and the real estate agents, with effect from the 15th Day of November, 2022.

[F. No. P-12011/6/2022-ES Cell-DOR]

SHASHANK MISRA, Director (Headquarter)